न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
पुराने न. 49 / 2006	22.02.2006	22.4.2025
नये न. 79 / 2007 वाद पत्र		

उनवान

1. श्री बंशीलाल आत्मज रूपाजी खाती, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा

—— वादी

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मनोहरलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री श्यामलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा मृतक जरिये विधिक वारिसान :—
   3/1 — गोपाल पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
   3/2 — दिनेश पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती चेतना पत्नी चन्द्रशेखर जी जाजू, निवासी भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 53, 54 व धारा 188 आर0टी0ए व 136 एल.आर.ए.जे. बाबत् घोषित कराये जाने काश्तकार एवं बंटवारा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादी श्री दिनेश सिसोदिया, उपस्थित।

2—अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 की और से श्री भैरूलाल बापना

3— प्रतिवादी संख्या 05 की और से पैरोकार सरकार।

—:: निर्णय ::—

प्रतिवादी संख्या 04 ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम आटूण में स्थित वर्तमान आराजी नं. 1141 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा को उसके खातेदार वादी ने श्रीमती रेखा पत्नी शैलेन्द्र जी हिंगड निवासी ई—14 बसन्त विहार भीलवाड़ा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दी है जो नामान्तरकरण सं. 1863 से उसके नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गयी है। वादी ने अपनी उक्त सम्पूर्ण भूमि का विक्रय कर दिया है जिससे उसको कोई भी कारणवाद शेष नहीं बचा है जिससे इस वाद में अब कोई कार्यवाही ही शेष नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि वादी को अब कोई कारणवाद शेष नहीं रहा है जिससे इस वाद को इसी स्टेज पर खारिज कराया जाना आवश्यक है अन्यथा न्यायालय का कीमती समय इस वाद की अन्वीक्षा में खर्च होता रहेगा । प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादी को कोई भूमि विक्रय नहीं की थी। मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने मेरे खाते की आराजी नं. 1131 1132 1133 प्रतिवादी सं. 4 को दिनांक 8—2—2006 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दी थी। अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इस वाद को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारीज कराया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का वादी की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी संख्या 1141 को श्रीमती रेखा पत्नी शैलेन्द्र हींगड़ को विक्रय करना एवं उसके उपरांत नामान्तरणकरण संख्या 1863 से उक्त आराजियात श्रीमती रेखा हींगड़ के नाम पर अभिलिखित होने बाबत् यहां कोई विवाद नहीं है। वादी ने उक्त वाद साबिक आराजी संख्या 885, 889 कुल कीता 02 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा को अपने पिता रूपा जी खाती द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 29.05. 1973 से खरीदकर कब्जा प्राप्त करने के आधार पर प्रस्तुत कर यह कथन किया कि सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजियात के नये नम्बर 1133 से लगायत 1139 व 1148 कायम हुये. किन्तु जरीब के अंतर के कारण साबिक आराजी संख्या 885. 889 का रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर 05 बीघा 06 बिस्वा बनता है किन्तु वादी के नाम पर मात्र 114 के रूप में 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि ही अभिलिखित की गयी इस प्रकार 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर कम दर्ज की गयी है इस कारण उक्त नये नम्बर 1133 से लगायत 1139 में से उक्त रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा जो आराजी संख्या 1141 से लगा हुआ है को कम कर कुलिया 05 बीघा 06 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इस प्रकार विवाद साबिक रकबे एवं उसके अनुसार बनने वाले नये रकबे के संबंध में है आराजी संख्या 1141 के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है तो फिर उसके विक्रय करने से किसी कदर वाद में बिनायवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मात्र उक्त विक्रयशुदा आराजियात के अलावा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो वादी के नाम पर कम दर्ज की गयी है उसके संबंध में ही यह वाद प्रस्तुत किया गया है यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि उक्त वाद के लम्बित रहते हुये एवं स्थगन आदेश होते हुये भी बिना न्यायालय की स्वीकृती के प्रतिवादी संख्या 4 ने आराजी संख्या 1133 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा खरीद की है जो प्रारंभ से ही अवैध शून्य होकर वादी के मुकाबले में प्रभावहीन होकर बेअसर है। जिससे प्रतिवादी संख्या 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की कोई लोक्स स्टैण्डाई भी नहीं रहती है मात्र प्रकरण हाजा के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने के दुराश्य से यह प्रार्थनापत्र सर्वथा गलत एवं अवैध आधारों पर प्रस्तुत किया है जो उदाहरणीय खर्चे पर काबिल खारीज के है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित साबिक आराजी संख्या 885, 889 को तत्कालीन खातेदार प्रमु लाल सनाढ्य एवं उनके पुत्र मदन लाल, श्याम लाल आदि ने रजिस्टर्ड विकयपत्र से हस्तान्तरित की थी जिससे प्रतिवादी संख्या 1, जो कि प्रमू लाल जी का ही जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिसान है, अपने पिता द्वारा किये गये बिकाव से बाउण्ड होकर बाध्य है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होते हुये एवं वाद लम्बित होते हुये उक्त आराजी संख्या 1133 को बिकाव करन सर्वथा गलत होकर न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवहेलना हो अवमानना की परिधि में आता है इस हेतु वादी अलग से कार्यवाही करवायेगा वैसे भी प्रतिवादी संख्या 4 को भी प्रकरण हाजा की सम्पूर्ण जानकारी होते हुये भी उक्त आराजियात जानबूझकर कय की है जो किसी कदर सद्भाविक केता की परिधि में नहीं आते है बल्कि वह भी न्यायालय आदेश की अवहेलना कर अवमानना के दोषी है उक्त सारे ही तथ्यों को जानबूझकर छूपा प्रतिवादी संख्या 4 ने यह प्रार्थनापत्र सर्वथा गलत एवं झूठा पेश किया है जो उदाहरणीय खर्चे पर काबिल खारीज के है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थनापत्र सव्यय उदाहरणीय खर्चे पर खारीज़ कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी बंशीलाल के पॉवर ऑफ अटॉर्नी एंवत कुमार आत्मज शांतिलाल सेठिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दौराने वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 श्यामलाल के वारिसान गोपाल एवं दिनेश पिता श्यामलाल ब्राहम्ण निवासी आटुण के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है और उक्त राजीनामें के अनुसार आराजी संख्या 1136 रकबा 01–18 बीघा एवं आराजी संख्या 1137 रकबा 01–05 बीघा जिसका विक्रय पत्र श्री गोपाल, दिनेश पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, सनाढ्य निवासी आटुण द्वारा वादी के अधिकृत व्यक्ति के हक में निष्पादित कराया जा चुका है इस कारण वादी अब उक्त प्रतिवादी संख्या 03/1 व 03/2 अर्थात् गोपाल, दिनेश पिता श्री श्यामलाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध संस्थित वाद को प्रत्याहरण करना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 03/1 व 03/2 के विरूद्ध वादी को उक्त वाद विड्रो (प्रत्याहरण) करने की स्वीकृति प्रदान कराते हुये उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही को ड्रोप कराई जावें। इस प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने मेरे खाते की आराजी नं. 1131 1132 1133 प्रतिवादी सं. 4 को दिनांक 8–2–2006 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दी थी। अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इस वाद को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारीज कराया जावें।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विक्रयशुदा आराजियात के अलावा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो वादी के नाम पर कम दर्ज की गयी है उसके संबंध में ही यह वाद प्रस्तुत किया गया है यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि उक्त वाद के लम्बित रहते हुये एवं स्थगन आदेश होते हुये भी बिना न्यायालय की स्वीकृती के प्रतिवादी संख्या 4 ने आराजी संख्या 1133 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा खरीद की है जो प्रारंभ से ही अवैध शून्य होकर वादी के मुकांबले में प्रभावहीन होकर बेअसर है। जिससे प्रतिवादी संख्या 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की कोई लोक्स स्टैण्डाई भी नहीं रहती है मात्र प्रकरण हाजा के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने के दुराश्य से यह प्रार्थनापत्र सर्वथा गलत एवं अवैध आधारों पर प्रस्तुत किया है जो उदाहरणीय खर्चे पर काबिल खारीज के है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित साबिक आराजी संख्या 885, 889 को तत्कालीन खातेदार प्रभु लाल सनाढ्य एवं उनके पुत्र मदन लाल, श्याम लाल आदि ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हस्तान्तरित की थी जिससे प्रतिवादी संख्या 1, जो कि प्रभु लाल जी का ही जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिसान है, अपने पिता द्वारा किये गये बिकाव से बाउण्ड होकर बाध्य है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होते हुये एवं वाद लम्बित होते हुये उक्त आराजी संख्या 1133 को बिकाव करन सर्वथा गलत होकर न्यायालय आदेश की जानबूझकर अवहेलना हो अवमानना की परिधि में आता है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थनापत्र सव्यय उदाहरणीय खर्चे पर खारीज कराया जानें की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र के वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। वादी ने भी प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 03/1 व 03/2 के विरूद्ध वाद को विड्रो करने की स्वीकृति चाही गई है। ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 1141 रकबा 03-04 बीघा भूमि खातेदार वादी ने श्रीमती रेखा पत्नी शेलेन्द्र हींगड निवासी ई-14 बसंत विहार भीलवाडा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गई है एवं इसका नामान्तकरण संख्या 1863 से क्रेता के नाम राजस्व अभिलेख में ईन्द्राज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध कारण वाद शेष नहीं रहा है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी नम्बर 1131, 1132, 1133 मुझ प्रतिवादी संख्या 04 को दिनांक 08.02.2006 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी है।

वादी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (क) सपठित धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 16.03.2022 को प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल पिता प्रभुलाल सनाढ्य का दिनांक 31.12.2020 को देहान्त होने की जानकारी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दी है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल सनाढ्य के विधिक वारिसान के नाम व सकूनत की जानकारी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है इस कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा रहा है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल के वारिसान की जानकारी हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की गई है इस प्रार्थना पत्र की एक प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई। प्रतिवादी श्रीमती चेतना जाजू ने इस प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल की मृत्यु दिनांक 31-12-2020 को हो जाने की जानकारी मुझे प्राप्त होने पर इसकी सूचना दिनांक 22-02-2022 को मेरे अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दे दी गयी थी, फिर भी वादी ने अंदर अवधि 90 दिन में उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है जिससे वादी का वाद ही अबेट हो जाने से निरस्तनीय है। वाद में अन्य प्रतिवादीगण जो कि मृतक रोशनलाल के भाई हैं वे मुझे रोशनलाल के वारिसान की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं जिससे मैं उसके वारिसान का ब्यौरा पेश करने में असमर्थ हूँ। प्रतिवादी रोशनलाल मेरे परिवार का सदस्य नहीं है और वह भीलवाड़ा का निवासी नहीं होकर आटूण का निवासी था। वाद में किसी भी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान का पता लगाकर कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश करने का दायित्व वादी का ही होता है। मुझ प्रतिवादी ने आदेश 22 नियम 10 (क) जा.दी. के प्रावधानानुसार प्रतिवादी रोशनलाल की मृत्यु हो जाने की इत्तिला न्यायालय को दे दी है। आदेश 22 नियम 10 (क) जा.दी. के प्रावधान इस प्रकार है-"वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी वह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गयी है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिये प्लीडर और मृतक पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जायेगी ।"

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि वादी को हिदायत दी जावे कि वह मृतक प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल के वारिसान का पता लगाकर वाद में विधि अनुसार कार्यवाही करे व ऐसा नहीं करने पर वादी का वाद अबेट कराया जाकर खारीज कराया जावें।

वादी ने ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 1136, 1138, 1139 कुल किता 03 कुल रकबा 05–17 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश किया साबिक आराजी नम्बर 885, 889 हैक्टेयर साबिक 1142, 1133, 1137, 1134, 1132, 1135 बने है जो प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम पर है साबिक आराजी नम्बर 889 के नये आराजी नम्बर 1139 बनाये है।

वादी के पिता रूपा पिता घीसा सुथार ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 से पंजीकृत विक्रय रूपये 7000 /– में दिनांक 26.05.1973 का साबिक आराजी नम्बर 889 रकबा 01–03 बीघा, आराजी नम्बर 885 रकबा 05–02 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06–05 बीघा सेटलमेन्ट के दौरान खरीदशुदा भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज नहीं हुई वादी का दिनांक 26.05.1973 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। साबिक रकबा 06–05 बीघा का हाल रकबा 05–06 बीघा भूमि बनती है जो हाल आराजी नम्बर 1136 रकबा 01–18 बीघा, आराजी नम्बर 1138 रकबा 02–03 बीघा, आराजी नम्बर 1139 रकबा 01–16 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 05–17 बीघा दर्ज हुई। 11 बिस्वा भूमि अधिक होती है जो प्रतिवादी के नाम आराजी नम्बर 1139 रकबा 01–16 बीघा में से कम कर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज कराने की डिक्री चाही है।

वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1133 चेतना पत्नी चन्द्रशेखर जाजू सा0 53 काशीपुरी, भीलवाडा के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1134, 1135 मनोहरलाल पुत्र प्रभुलाल ब्राहम्ण, के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1136 दिनेश पुत्र श्यामलाल ब्राहम्ण, नवनीत कुमार पिता गोपाल के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1137, 1141 नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 2885/1138, 2887/1139 अंतिमबाला पत्नी अशोक कुमार सोमानी, शेलेन्द्र कुमार पुत्र शांतिलाल हींगड के नाम दर्ज है।

वादग्रस्त आराजी नम्बर 1137, 2888/1139, 1141 आवासीय परिवर्तन होकर राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज हो चुकी है, आराजी नम्बर 1133, 2885/1138, 2887/1139 विक्रय हो चुकी है वादी ने आराजी नम्बर 1133 से लगायत 1139, 1141, में से 02–02 बीघा भूमि किस आराजी नम्बर में कितना–कितना क्षैत्रफल किस खातेदार के खाते से कम कर खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री चाही। संशोधित वाद में स्पष्ट नहीं है वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 04 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। एवं वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 03 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का आराजी नम्बर 1136, 1137 से सम्बन्ध में दिनांक 11.02.2022 को स्वीकार किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल की मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को हो जाने से वादी के द्वारा 90 दिवस में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध अबेट हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 04 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 (क) जा0दी0 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

–:: आदेश ::–

1. वादग्रस्त ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 1137, 2888/1139, 1141 आवासीय परिवर्तन होकर राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज हो चुकी है एवं आराजी नम्बर 1133, 2885/1138, 2887/1139 का विक्रय होकर केता के नाम दर्ज हो चुकी है।
2. वादी ने अपने वादपत्र में आराजी नम्बर 1133 से लगायत 1139 व 1141 में से 02–02 बीघा भूमि किस आराजी नम्बर में से कितना–कितना क्षेत्रफल किस खातेदार के खाते से कम कर खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना सम्बन्धी तथ्य संशोधित वाद में स्पष्ट अंकित नहीं करने से वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण की मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को हो जाने से वादी के द्वारा 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध अबेट हो जाने से प्रतिवादी संख्या 04 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 (क) जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 01, 02 व 03 अनुसार वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है, खर्चा–फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
पुराने न. 49/2006
नये न. 79/2007 वाद पत्र

दायर दिनांक
22.02.2006

निर्णय दिनांक
22/5/2025

उनवान

1. श्री बंशीलाल आत्मज रूपाजी खाती, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा

—— वादी

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मनोहरलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री श्यामलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा मृतक जरिये विधिक वारिसान :–
   3/1 – गोपाल पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
   3/2 – दिनेश पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती चेतना पत्नी चन्द्रशेखर जी जाजू, निवासी भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 53, 54 व धारा 188 आर0टी0ए व 136 एल.आर.ए.जे. बाबत् घोषित कराये जाने काश्तकार एवं बंटवारा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादी श्री दिनेश सिसोदिया, उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 की और से श्री भैरूलाल बापना

3– प्रतिवादी संख्या 05 की और से पैरोकार सरकार।

वादी की और से अधिवक्ता श्री दिनेश सिसोदिया, एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 की और से श्री भैरूलाल बापना उपस्थित। इस प्रकरण में – इस वाद में तारीख 22/5/25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1. वादग्रस्त ग्राम आटुण के आराजी नम्बर 1137, 2888/1139, 1141 आवासीय परिवर्तन होकर राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज हो चुकी है एवं आराजी नम्बर 1133, 2885/1138, 2887/1139 का विक्रय होकर केता के नाम दर्ज हो चुकी है।
2. वादी ने अपने वादपत्र में आराजी नम्बर 1133 से लगायत 1139 व 1141 में से 02–02 बीघा भूमि किस आराजी नम्बर में से कितना–कितना क्षेत्रफल किस खातेदार के खाते से कम कर खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना सम्बन्धी तथ्य संशोधित वाद में स्पष्ट अंकित नहीं करने से वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 रोशनलाल पिता प्रभुलाल ब्राहम्ण, निवासी आटुण की मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को हो जाने से वादी के द्वारा 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध अबेट हो जाने से प्रतिवादी संख्या 04 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 (क) जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 01, 02 व 03 अनुसार वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है, खर्चा–फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा